



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2007/ज्यैष्ठ 23, 1929

No. 712]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2007/JYAISTHA 23, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2007

का.आ. 961(अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एकद्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी, 2005 के सं. का.आ. 238(अ) द्वारा प्रकाशित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(1) इन नियमों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2004 में खण्ड 1, उप-खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1. (i) इन नियमों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2005 कहा जाएगा।”

[फा. सं. 41/24/2004-ईपी(एग्री-IV)]

दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम राजपत्र के राजपत्र में दिनांक 3 सितम्बर, 1986 के सं. का.आ. 652(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इनमें दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के सं. का.आ. 806(अ) तथा दिनांक 16 जुलाई, 2004 के सं. का.आ. 827(अ) और दिनांक 22 फरवरी, 2005 के सं. का.आ. 238(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2007

S.O. 961(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 32 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Central Government hereby makes